Progress Report

Dec. 2007 to Nov. 2007

Promotion of Community Health through Capacity Building of PRI / Local Self Governance

Supported by : SIR DORABJI TATA TRUST, MUMBAI

प्रस्तावना

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर, बालाघाट अत्यंत हर्ष के साथ एक वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। संस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था कि स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण की सोच को क्रियांवित करने हेतु सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से सहयोग प्राप्त हुआ। सामूदायिक स्वास्थ्य और विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है यदि गंभीरता से कार्य किया जावे। विगत दिसंबर २००६ से परियोजना का क्रियांवयन प्रारंभ किया गया और परियोजना स्टॉफ ने लगन और मेहनत से परियोजना की गतिविधियों का आयोजन प्रारंभ किया। आज एक वर्ष की अवधि के पश्चात परिवर्तन के सूचक दिखायी दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में निम्न से निम्न तबके की भागीदारी सुनिश्चित हो इस तरह के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। अब स्वास्थ्य भी पंचायतों के एजेंडे में शामिल होने लगा है जो शायद अभी भी प्राथमिकता के क्रम में नीचे के पायदान पर है, आशा है परियोजना के हस्तक्षेपों के फलस्वरूप स्वास्थ्य प्राथमिक स्थान प्राप्त करने में सफल होगा।

अवसर के साथ चुनौती भी है जिसमें दो और सहभागी संस्थाओं के साथ परियोजना का क्रियांवयन करना था। संस्था की ओर से सहभागी संस्थाओं को परियोजना क्रियांवयन में मागदर्शन और सहयोग प्रदान किया गया जिसके फलस्वस्रूप स्वास्थ्य संरक्षक समिति उभर कर सामने आयी और उस क्षेत्र में भी बदलाव के संकेत दिखायी दे रहे हैं। हम आभारी हैं एस.डी.टी.टी. के जिसमें एफ.आर.सी.एच. में प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ, इस प्रशिक्षण के पश्चात एक दिशा तय हुई कि सामूदायिक स्वास्थ्य और विकास में कार्य की नीति क्या हो।

आज परियोजना जिस तरह का प्रभाव डालने में सफल हुई है निश्चित रूप से इसमें सेवाएं दे रहे स्टॉफ का योगदान उल्लेखनीय है। संस्था मुख्य रूप से श्रीमती वंदना चार्ल्स सहभागी समन्वयक श्री हेमंत पटले प्रशिक्षण समन्वयक श्री देवेश अग्रवाल दस्तावेज समन्वयक और श्री महेश डहाटे को धन्यवाद प्रेषित करती है जिनके अथक प्रयास से परियोजना के कार्यो को गति प्राप्त हो रही है साथ ही आशा भी है कि इनके सामूहिक प्रयास जारी रहेंगे जिससे हम परियोजना के परिणामों को संपूर्णता में प्राप्त करने में सफल होंगे।

अमीन चार्ल्स
निदेशक
सी.डी.सी. बालाघाट

अनुक्रमणिका

- परियोजना और परियोजना क्षेत्र
  - भौगोलिक
  - सामाजिक आर्थिक स्थिति
- परियोजना का नियोजन
- परियोजना नियोजन और क्रियांवयन
- नियोजित उद्देश्यों हेतु आयोजित गतिविधि विवरण
  - गृहभेंट
  - पोषण और स्वास्थ्य दिवस
  - ग्राम स्वास्थ्य समिति
  - सृजन समूह विवरण
  - ग्राम सभा चलो अभियान
  - नुक्कड नाटक
  - पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण
  - महिला पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण
  - स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
  - सूचना का अधिकार प्रशिक्षण शिविर
  - फिल्म प्रदर्शन
- चुनौतियाँ एवं अवसर
  - बैगा जनजाति, एन.आर.ई.जी.ए.
- प्रशिक्षण, दस्तावेज और संचार ईकाई
- परियोजना स्टॉफ विवरण
- पेपर कटिंग

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से चौपाल परियोजना का क्रियान्वयन 15 दिसम्बर 2006 से किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 3 संस्थाएँ सामुदायिक स्वास्थ्य व विकास में मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। 3 संस्थाओं में सी.डी.सी. बालाघाट लीड आर्गेनाईजेशन है तथा दो सहभागी संस्थाये ग्रामीण विकास मंडल परवाड़ा और स्वास्थ्य संरक्षक समिति वारासिवनी है। सी.डी.सी. बालाघाट द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन लालबर्रा विकासखंड की 6 पंचायतों के 18 गावों में किया जा रहा है।

परियोजना क्या है ?

चौपाल परियोजना

पंचायती राज संस्थाओं में जन केन्द्रित विकास को सशक्त करना, जो स्थानीय सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हो।

सहभागी संस्थाएँ

1. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट
2. ग्रामीण विकास मण्डल भीकेवाड़ा
3. स्वास्थ्य संरक्षक समिति बालाघाट

परियोजना क्षेत्र

जिला	विकासखण्ड	पंचायत का नाम	ग्राम संख्या	परियोजना कियांवयन में सहभागी संस्थाएँ
बालाघाट	लालबर्रा	साल्हे	2	कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट
		बहियाटीकुर	2	
		धारावासी	4	
		रानीकुठार	4	
		चिचगांव	1	
		टेकाड़ी	5	
	परसवाड़ा	बडगांव	5	ग्रामीण विकास मण्डल भीकेवाड़ा
		कुरेन्डा	1	
		कनाई	2	
		घोडेदेही	2	
		सुकड़ी	3	
		नाटा	4	
	वारासिवनी	डोरली	2	ग्रामीण विकास मण्डल भीकेवाड़ा
		शेरपार	1	
		कोचेवाही	1	
		नंदगांव	2	
		बोटेझरी	1	
		रमरमा	1	

परियोजना के उद्देश्य

- पंचायत में सामूहिक ताकत को सशक्त बनाना तथा स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधियों की क्षमतावृध्दि के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य और अधिकारों के लिये स्थानीय स्वशासन की ईकाईयों की क्षमतावृध्दि करना।
- स्थानीय स्वशासन में सामुदायिक स्वास्थ्य पर अनुभवों का दस्तावेजीकरण और अनुभवों को बांटना।

आपेक्षित परिणाम

- गांवो के विकास में लोगों की भागीदारी,
- पंचायत प्रतिनिधियों का गांव के विकास में सहयोग,
- ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी,
- लोक क्ल्याण कारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले,
- गांव का वातावरण स्वच्छ हो, लोग स्वस्थ रहें,
- हर ग्राम में स्वास्थ्य समिति सक्रियता से कार्य करें।

भोगोलिक स्थिति

विकास खण्ड लालबर्रा मुख्यालय से कार्यक्षेत्र 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जहॉ आवागमन के साधन नहीं हैं। इन गांवों तक स्वयं के साधनों से ही आना जाना किया जा सकता है। उक्त क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से वनों व पहाड़ों से घिरा हुआ है। चिखलाबड्डी, सिलेझरी, नवेगांव, सोनेवानी, गनखेड़ा हेतु रास्ता सुलभ नहीं है। बरसात के मौसम में इन गांवो तक पहुॅचना बहुत मुश्किल होता है। 10 गांव वनों के बीच हैं, इनमें 7 गांव वनग्राम हैं। यहां के लोगों की आजीविका के साधन कृषिकार्य तथा वनों पर आधारित है। यहॉ की भूमि काली मिट्टी और दोमट मिट्टी किस्म की है। यह मुख्य रूप से धान, गेहूॅ, चना, लखोरी और अलसी की पैदावार के लिये उपजाऊ है।

सामाजिक और आर्थिक स्थिति

लालबर्रा विकासखंड पवार बाहुल्य क्षेत्र है। जिनकी आर्थिक स्थिति अन्य समुदाय से बेहतर है। अन्य समुदायों में हरिजन, बैगा, मरार और आदिवासी प्रमुख है। परियोजना क्षेत्र विकासखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तथा मुख्यालय से 15 कि.मी की दूरी में स्थित होने के कारण सुवधिाओं की कमी है। जैसे पहुॅच मार्ग, संचार सुविधायें और स्वास्थ्य सुविधायें आदि। शासकीय योजनाओं की भी स्थिति बेहतर नहीं है। परियोजना क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती है। इसके साथ ही यहॉ पर अगरबत्ती की काड़ी बनाने का अतिरिक्त आय का स्त्रोत है। गोंड व बैगा आदिवासी महुआ बीनने तथा शराब बनाने का कार्य करते हैं। लोगों का पलायन काफी मात्रा में होता है। लोग पलायन नागपुर मुम्बई हैदराबाद रायपुर की और करते हैं। इन गांवो में लगभग 75 प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। परिवार की आय में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलायें खेती की कार्यों के अलावा अन्य आय उपार्जक गतिविधियों में बराबर योगदान देती है। जैसे अगरबत्ती की काड़ी बनाने के कार्य महिलायें अधिक करती हैं।

परियोजना क्षेत्र लोगों के द्वारा संगठनात्मक कार्य लगभग नहीं के बराबर है। लोगों में जानकारियों का अभाव है और कमी सामूहिक प्रयास उनके द्वारा नहीं किये गये हैं। लोग सरकार व पंचायतों पर आधरित हैं। पंचायत की बात तो यहॉ के लोगों की भागीदारी किसी भी स्तर पर नहीं है। ना ही ग्रामसभायें सशक्त है और ना ही पंचायत के अन्य पंच लगभग सभी पंचायतों का संचालन सरपंच और सचिवों के द्वारा किया जा रहा है। लोगों का विश्वास भी ग्राम सभाओं में नहीं है।

इसी वजह से परियोजना का विचार किया गया और संस्था के द्वारा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इस परियोजना का नियोजन किया गया जिसे चौपाल परियोजना का नाम दिया गया।

परियोजना की आवश्यकता

परियोजना क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य विकास जैसे मुद्दों पर समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों की समझ कम है। समुदाय की इनके प्रति संवेदनशील भी नहीं है। समुदाय में जागरूकता की कमी है। अपने अधिकारों की समझ न होने के कारण लोग सामने नहीं आ रहे हैं और न ही अधिकार लेने की पहल की जा रही है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा दवाईयों की उपलब्धता कम है। परियोजना क्षेत्र की वर्तमान सामाजिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ अति आवश्यक मुद्दों पर हस्तक्षेप किये जायें जोकि समुदाय को एक दिशा प्रदान करें । जिससे समुदाय आगे परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा सके। देखा जाये तो आज गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती नजर आ रही है जिसका मुख्य कारण पीने के साफ पानी की उपलब्धता नहीं है। गांव में जलजनित व मलजनित रोगों पर समुदाय की समझ कम है। इस कारण अधिकांश लोग बिमारियों से ग्रस्त होते हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ते जाती है। इसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर लोगों का पलायन करना एक गम्भीर समस्या बन गई है। गांव के लोग काम की तलाश में शहर की ओर जाते हैं और वहां कई संक्रमित बिमारियां अपने साथ ले आते है। जिससे गांव तक कई खतरनाक बिमारियां भी अपनी जड़ जमाने लगी हैं। गांव में पूॅजीपति व शक्तिवान लोगों का वर्चस्व अधिक होने से कमजोर एवं गरीब लोगों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई रहती है। समुदाय के कमजोर वर्ग को सामने आने के अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यह भी देखा गया कि शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को न मिलकर, चिन्हित व्यक्ति तक ही सीमित रह जाता है। अर्थात सार्वजनीकरण न होकर व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रह जाता है।

परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत इन्हीं खास विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता रही है। जिससे एक आम व्यक्ति तक उसके अधिकार प्राप्त हो सके वह स्वास्थ्य, पंचायत और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।

परियोजना नियोजन एवं कियान्वयन

परियोजना का नियोजन मुख्य रूप पंचायत राज संस्थाओं को क्षमतावृध्दि कर सशक्त करने के उद्देश्य किया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन की इकाईयों मजबूत रूप ले सके और उनके अपने विषयों पर वे गम्भीरता कार्य कर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। इस नियोजन में यह बात तय रही है कि समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी विकास के कार्य में हो और यह तभी संभव है जब वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये उत्तादायित्व वहॉ की निवासी का बनता है। किसी शासकीय तंत्र का नहीं। जरूरत के अनुसार गांव के विकास कार्यों का नियोजन अच्छी तरह हो यह तभी मुमकिन होगा जब वहां रहने वाले लोग अपनी बात कह सकें।

परियोजना को कियांवित करने के पहले चरण में परियोजना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का आंकलन कर प्रत्येक गांव में पंचायत प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि व समुदाय से सम्पर्क कर परियोजना नियोजन का उद्देश्य तथा संस्था कार्यक्रम के विषय में बताया गया उसके ग्राम जानकारियों का संकलन किया गया पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें कार्यक्रम कियान्वयन उद्देश्य पर जानकारियों से अवगत कराया गया तथा समुदाय के प्रत्येक आयुवर्ग तक पहुॅच बनाने के लिये रणनीति बनाई गई। जैसे गभवती महिलाओं तथा 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्र पर परामर्श व बैठकों तथा पोषण स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा पॅहुच बनाई गई। 06 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग बच्चों के साथ प्राथमिक शालेय स्वास्थ्य के माध्यम से 12 से 25 वर्ष तक आयु वर्ग के साथ सृजन समूह के माध्यम से पॅहुच बनाने का प्रयास किया गया। 25 वर्ष से अधिक उम्र के महिला व पुरूषों के साथ स्व–सहायता समूह के माध्यम से पॅहुच बनाने की रणनीति बनाई गई।

नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तय गतिविधियॉं

कमांक	गतिविधि	एक वर्ष में प्राप्ति लक्ष्य
1	परियोजना स्टाफ का उन्मुखीकरण	01 प्रशिक्षण का आयोजन सभी संस्थाओं के स्टॉफ के लिए
2	पंचायती राज और सूचना के अधिकार पर परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण	01 प्रशिक्षण का आयोजन सभी संस्थाओं के स्टॉफ के लिए
3	पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका और भोजन के अधिकार पर परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण	01 प्रशिक्षण का आयोजन सभी संस्थाओं के स्टॉफ के लिए
4	गृहभेंट	सभी स्टॉफ द्वारा लगभग 30 परिवार प्रति माह
5	ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन	09 समितियों का गठन
6	युवा किशोर समूहों का गठन/बाल समूह	13 समूहों का गठन
7	पंचायत राज विषय पर पंच सरपंचों का प्रशिक्षण	2 चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन
8	ग्राम स्वास्थ्य समितियों का स्वास्थ्य नियोजन और समिति प्रबंधन पर प्रशिक्षण	प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन
9	सृजन समूहों के प्रबंधन पर युवा और किशोर समूहों का प्रशिक्षण	प्रथम प्रशिक्षण बालाघाट में और गॉव स्तर पर प्रशिक्षण संपन्न
10	ग्राम स्तर पर सृजन समूहों का गठन	13 समूहों का गठन किया गया
11	सामूदायिक स्वास्थ्य और शासकीय योजनाओं पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर	प्रत्येक पंचायत में एक दिवसीय शिविर का आयोजन
12	पंचायत स्तर पर सूचना के अधिकार भोजन के अधिकार पर एक दिवसीय शिविर	सभी पंचायतों में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
13	ग्राम स्तर पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन	सभी गॉवों में नाटक का आयोजन
14	ग्राम स्तर पर फिल्म प्रदर्शन	सभी गॉवों में प्रदर्शन किया गया
15	शिक्षकों और युवाओं का शालेय स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण	पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया
16	पोषण और स्वास्थ्य दिवस में भागीदारी और आयोजन	लगभग सभी स्वास्थ्य दिवसों पर स्टॉफ की उपस्थिति
17	ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठकें	गठन के पश्चात निरंतर बैठकों का आयोजन
18	क्लस्टर स्तर पर बैठकें पंचायत,आंगनवाड़ी और ए. एन.एम	सेक्टर बैठकों में भागीदारी
19	स्वयं सहायता समूह बालसमूह और वाटर शेड समितियों के साथ बैठकें	आयोजित बैठकों में भागीदारी

गृहभेंट

परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गांव में सामुदायिक संगठक के द्वारा महिने में तय गृहभेंट सभी की गई जिसमें लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता शौचालय निर्माण तथा लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाने हेतू आंगनबाड़ी में जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे आंगनवाड़ी में मिलने वाली सुविधा सभी हितग्राहियों तक सुगमता से पहुँच सके। स्वच्छता व व्यक्तिगत् स्वच्छता पर बात की जाती है। साफ सफाई साफ पानी पीने के लिये समझाईश दी जाती है। लोगों को विशेषकर महिलाओं को ग्रामसभा में जाने के लिये प्रेरित किया जाता है ताकि

प्रत्येक हितग्राही योजनाओं का जानकार हो और उनका लाभ उठा सके। इसके साथ शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनायें जैसे रोजगार गारंटी योजना, प्रसव परिवहन योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, इंदिरा आवास योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि प्रमुख सूचनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाती है।

पोषण स्वास्थ्य दिवस

प्रत्येक गांव में पोषण स्वास्थ्य दिवस पर संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग कर, आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार व आयोजन की सुनिश्चितता पर सहयोग किया गया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य व्यवहारों को बढ़ावा देने, स्वस्थ कैसे रहे, स्वच्छता, कुपोषण से बचाव आदि विषयों पर परामर्श दिया गया। संस्था कार्यकर्ता अलग अलग गांव में अलग दिनों पर होने वाले पोषण स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित रहकर चर्चाएं की गईं।

ग्राम स्वास्थ्य समिति

परियोजना क्षेत्र के सभी गांवो में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं व आश्यकताओं और स्वास्थ्य की परेशानियों से बचने के लिये समुदाय से चयनित सदस्यों के संगठन को इस काम के लिये सक्रिय व जवाबदेह बनाया गया, जिसे ग्राम स्वास्थ्य समिति का नाम दिया गया। ग्राम स्वास्थ्य समिति गांव में स्वास्थ्य को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करेगी।

ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों की बैठकों में संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें नियमित परामर्श व सहयोग दिये जाने से ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों की समझ बढ़ी है। और ये समितियों के द्वारा अपनी बैठकों में गांव की समस्याओं को चिन्हित कर निराकरण हेतु पहल किया जाने लगा है। संस्था कार्यकर्ता द्वारा ग्राम स्वास्थ्य समिति की अब तक 28 बैठकें की जा चुकी हैं बैठकों के अंतर्गत निम्न विषयों पर समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है।

- ❖ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गांव में नियमित भ्रमण।
- ❖ गांव में डिपो होल्डर के पास प्राथमिक उपचार की दवाईयॉ की उपलब्धता तथा समुदाय से इसका जुड़ाव।
- ❖ गांव में पोषण स्वास्थ्य दिवस का नियमित आयोजन सुनिश्चित करवाना।
- ❖ गांव में प्रत्येक परिवार को पीने का साफ पानी मिले और लोगों को दूषित जल से होने वाली बिमारियों की जानकारी दें।
- ❖ गांव में प्रत्येक घर में शौचालय हों और लोग इसका उपयोग करें तथा मलजनित रोगों के संबंध में जानकारी।
- ❖ गांव का वातावरण अस्वच्छ कैसे होता है। रोकने के उपाय क्या हैं।

प्रभाव

- ❖ ग्राम स्वास्थ्य समिति गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर दबाब समूह के रूप में काम कर रहा है।
- ❖ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एवं दवाओं की कमी को तुरन्त पूरा करने का प्रयास किया जाने लगा है।
- ❖ गांव में स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रयास किया जाने लगा है।
- ❖ गांव में शौचालय बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करने से लोग आने लगे।

चुनौतियॉ

ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों का अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। स्थानीय कार्यो की व्यस्तता के कारण पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

सृजन समूह

चौपाल परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये समुदाय के हर आयुवर्ग के लोगों को विभिन्न गतिविधियों एवं समूह संगठन के रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि उस आयु समूह के संगठन को सशक्त व जागरूक बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से 12 वर्ष से 25 वर्ष के युवा वर्ग, किशोर, किशोरियों के सर्वांगीण विकास, छुपी हुई प्रतिभा को निखारने, अपने अधिकारों को समझने तथा युवा वर्ग को सक्रिय व जागरूक बनाने और गांव में सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये सृजन समूह का गठन किया गया।

संस्था के द्वारा वर्तमान समय में 13 सूचना केन्दों का संचालन किया जा रहा है। सूचना केन्द्रों के स्थाईत्व और प्रचार प्रसार के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। सूचना केन्द्रों के संचालन ,रखरखाव और नियमित खुलने की जिम्मेदारियां सृजन समूह के सदस्यों के बीच बांटी गई हैं। बैठकों का आयोजन तय तारीख में संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है कि जिससे सृजन समूह के प्रत्येक सदस्य को यह मालूम हो सके कि सूचना केन्द्र के उद्देश्य क्या हैं और वे कार्ययोजना के मुताबिक कार्य कर सकें। सभी सृजन केन्द्रों में प्रभारी भी तय किये गये हैं जोकि प्रशिक्षण प्राप्त हैं। जिन्हें संस्था के द्वारा 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रशिक्षण में संगिनी भोपाल से प्रार्थना मिश्रा जी उपस्थित रहीं।

सूचना केन्द्र के बेहतर संचालन के लिये संस्था द्वारा रेडियो की उपलब्धता सभी सूचना केन्द्रों में की गई है जिससे नई नई सूचनाएँ व जानकारियॉ सृजन समूह को प्राप्त हो सकें, और उनका बौद्धिक विकास हो सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियॉ सृजन समूह तक सहज रूप से पहूँच सके और उनके बीच विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हो और वे अपने गांव के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकें। संस्था स्तर पर ''सृजनिका'' पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जोकि मूल रूप से सृजन समूह से जुड़ी हुई है। इस पत्रिका का प्रकाशन मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया है कि यह सृजन समूह की आवाज बन सके। ऐसे प्रयास जोकि सृजन समूह द्वारा किये जा रहे हैं वे उनके गांव तक ही सीमित न रहे बल्कि अन्य लोग भी उन्हें जान सके और प्रयासों की सराहना कर अपना सकें।

सृजन समूह बैठक व जानकारियॉ

प्रतिमाह सृजन समूह की बैठकों का आयोजन होता है संस्था कार्यकर्ता द्वारा अब तक कि स्थिति में 30 बैठकें की जा चुकी हैं जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

- ❖ सृजन समूह की भूमिका
- ❖ सृजन समूह का समुदाय से जुड़ाव
- ❖ रिकार्ड संधारण
- ❖ गांव में अधिकांश बीमारियों के कारण जैसे शुध्द पेय जल की अनुपलब्धता, गांव का अस्वच्छ वातावरण, व्यक्तिगत् अस्वच्छता, अस्वस्थ होने के कारण पर विषयों को स्पष्ट किया गया।
- ❖ योजनाओं की जानकारी जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, शौचालय निर्माण की प्रक्रिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सूचना का अधिकार।

प्रभाव

सृजन समूह के साथ नियमित बैठकें एवं क्षमतावृध्दि के आयोजन के उपरांत किशोर किशोरियॉ द्वारा अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है जैसे स्वास्थ्य जागरूकता कैम्प में, नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में, पोषण स्वास्थ्य दिवस में। इसी के साथ ही साथ उनके द्वारा गांव के वातारण को स्वच्छ रखने के लिये कार्ययोजनाएँ तैयार की जाने लगी हैं।

परियोजना क्षेत्र में स्थापित सृजन समूह

क.	पंचायत	सृजन केन्द्र ग्राम का नाम	सृजन केन्द्र स्थापना दिनांक	सृजन केंद्र प्रभारी का नाम	सृजन केन्द्र का पता/फोन नम्बर	स्थापना हेतु भवन
1.	धारावासी लालबर्रा	धारावासी	31/10/07	नीलम चंद तुलसीकर	ग्राम धारावासी पो.ऑ– नेवरगांव(ला) वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	विद्यालय का कमरा
2.	धारावासी लालबर्रा	मानूटोला	20/11/07	सुनील तेकाम	ग्राम मानूटोला पो.ऑ– नेवरगांव(ला) वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र.	समुदाय द्वारा,
3.	धारावासी लालबर्रा	मौसमी	20/11/07	सुनीता कुम्हरे	ग्राम मौसमी पो.ऑ– नेवरगांव(ला) वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	विद्यालय का कमरा
4.	साल्हे लालबर्रा	खैरगोंदी	10/11/07	निर्मला परते	ग्राम खैरगांदी पो.ऑ– बाघोली वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र	समुदाय द्वारा,
5.	साल्हे लालबर्रा	साल्हे	10/11/07	शशीकला पटले	ग्राम साल्हे पो.ऑ– बाघोली वि. खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	आंगनवाड़ी में
6.	बहियाटीकुर लालबर्रा	बहियाटीकुर	19/12/07	प्रकाश तेकाम	ग्राम बहियाटीकुर पो.ऑ– बोरी वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	आंगनवाड़ी में
7.	बहियाटीकुर लालबर्रा	सिरसाटोला	18/12/07	रमेश उइके	ग्राम सिरसाटोला पो.ऑ– बोरी वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र.	समुदाय द्वारा,
8.	रानीकुठार लालबर्रा	पढ़रापानी	20/12/07	सादीका अली	ग्राम पढ़रापानी पो.ऑ– नगपुरा वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	समुदाय द्वारा,
9.	रानीकुठार लालबर्रा	रानीकुठार	20/12/07	चन्द्रकला ऐडे	ग्राम रानीकुठार पो.ऑ– नगपुरा वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	आंगनवाड़ी में
10.	रानीकुठार लालबर्रा	देवगांव	20/12/07	विनोद हरिनखेड़े	ग्राम देवगांव पो.ऑ– नगपुरा वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	समुदाय द्वारा,
11.	टेकाड़ी लालबर्रा	टेकाड़ी	26/11/07	जितेन्द्र गाडेश्वर	ग्राम टेकाड़ी पो.ऑ– बाघोली वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	समुदाय द्वारा,
12.	टेकाड़ी लालबर्रा	कटंगटोला	26/11/07	तेससिंह उइके	ग्राम टेकाड़ी पो.ऑ– बाघोली वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	समुदाय द्वारा
13.	चीचगांव लालबर्रा	चीचगांव	26/11/07	पुष्पा पटले	ग्राम चिचगांव पो.ऑ– बाघोली वि.खं. लालबर्रा बालाघाट म.प्र..	आंगनवाड़ी में

''ग्रामसभा चलो अभियान''

परियोजना के अंतर्गत दिनांक 09 अक्टूबर 2007 से 15 अक्टूबर 2007 तक परियोजना क्षेत्र की सभी छः पंचायतों धारावासी, रानीकुठार, साल्हे, चिचगांव, टेकाड़ी और बहियाटीकुर में ''ग्रामसभा चलो अभियान'' का आयोजन किया गया।

''ग्रामसभा चलो अभियान'' अभियान के मुख्य उद्देश्य

- ग्रामसभा के महत्व की समझ समुदाय को हो।
- ग्रामसभा के आयोजन और आम व्यक्ति को उनके अधिकार मालूम हों।
- ग्रामवासियों की भागीदारी ग्रामसभाओं में हो।
- महिलाओं की उपस्थिति और भूमिकायें पंचायत स्तर में बढ़े।

क्र.	दिनांक	ग्राम पंचायत का नाम	उपस्थित सदस्यों की संख्या	गतिविधियॉं	लक्ष्य समूह
1.	09/10/2007	धारावासी	37 महिला 10 पुरूष	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि
2.	10/10/2007	रानीकुठार	27 महिला 23 पुरूष	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि
3.	11/10/2007	साल्हे	29 महिला 10 पुरूष	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि
4.	12/10/2007	टेकाड़ी	34 महिला 11 पुरूष	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि
5.	13/10/2007	चिचगांव	40 महिला 15 महिला	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि
6.	15/10/2007	बहियाटीकुर	26 महिला 16 पुरूष	समुदाय से पम्पलेट्स और पोस्टर के माध्यम से वार्तालाप	ग्रामीण, युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि

कार्यानुभव

''ग्रामसभा चलो अभियान'' को सफल बनाने के लिये संस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा तिथि निश्चित कर पंचायत के ग्रामवासियों को गृहभेंट कर इस कार्यक्रम के संबंध में बताया और पंचायत में उपस्थित होने के लिये कहा गया। और इसी के साथ ही गांव में गठित युवा समूह, स्वसहायता समूह के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधियों को भी उपस्थित होने के लिये कहा गया।

कार्यक्रम के दौरान संस्था कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामसभा क्या है? कौन व्यक्ति इनके सदस्य हैं ? ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति क्यों आवश्यक है ? ग्रामसभा का कोरम क्या होता है ? कोरम के अभाव में ग्रामसभा क्यों स्थगित हो जाती है ? एक वर्ष में कितने बार ग्रामसभा होना अनिवार्य किया गया है ? और उक्त विषयों के साथ ही साथ विशेष ग्रामसभा का आयोजन कैसे हो सकता है। इस पर बात की गई।

पंचायत धारावासी

ग्राम सभा में अभियान में प्रतिभागियों से की गई चर्चा के दौरान सामने आया कि ग्रामीण महिलाओं को द्वारों पंचायत के द्वारा ग्रामसभा की जानकारी नहीं दी जाती है एवं पुरूष वर्ग के द्वारा ही ग्राम सभा में जाया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हमारे गांव के स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, इस पर पंचायत की भर्ती होनी चाहिये। आंगनवाड़ी केन्द्र में ए.एन.एम के द्वारा सभी प्रकार की सेवायें मिलनी चाहिये इस यह पंचायत के द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिये। इसी के साथ साथ पुरूषों के द्वारा कहा गया कि पंचायत में होने वाली ग्रामसभाओं में विकास के मुद्दों को लोगों की सहमति और प्राथमिकता के आधार पर तय नहीं किय जाते प्रतिनिधि ही तय करते हैं और लोगों को सुनाते हैं। उपस्थित महिला और पुरूषों ने यह भी बात की कि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। यदि उपस्थिती होती भी है तो वे बोलती नहीं है।

पंचायत रानीकुठार

- पिछले 6 माह से किसी प्रकार की ग्रामसभा पंचायत में नहीं हुई है।
- ग्राम पंचायत में सचिव एवं सरपंच के आपस में तालमेल ठीक नहीं होने के कारण विकास कार्या में रूकावट आ रही है।
- ग्रामसभा के दौरान निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में समुदाय को नहीं जोड़ा जाता है। इसलिये लोग ग्रामसभा में जाना पसंद नहीं करते।
- श्री झनक लाल वन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आंगनवाड़ी की बहनजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को नहीं देती है।
- गांव से दूर मकान में रहने वाली महिलाओं के द्वारा बताया गया हमारे वार्ड में नलकूप नहीं है, जिस्से पीने के पानी के लिये हमें दूर जाना पड़ता है। पंचायत हमारे बारे में नहीं सोचती है।
- पंचायत की मासिक बैठक नियमित नहीं हो रही है जिसके कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कोई काम नहीं हो रहा है।
- पंचायत प्रतिनिधियों का ध्यान शौचालय निर्माण पर नहीं है।

अनुभव पंचायत साल्हे

- ग्रामसभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है, क्योंकि महिलाओं की योजनाओं एवं हित में किसी प्रकार की कोई बात नहीं किया जाता है।
- ग्राम विकास कि योजनाओं एवं कार्यो को प्राथमिकता के क्रम में नहीं किया जाता है।
- खैरगांदी में जिन लोगों के नाम बी.पी.एल सूची में नहीं हैं, जबकि वे वास्तविक हितग्राही हैं, उनका नाम सूची में जुड़वाने हेतू पंचायत ने प्रयास नहीं किया।
- सरपंच जोकि महिला प्रतिनिधि हैं और वह अपना सहयोग ग्राम हित में नहीं दे रही हैं, जिस्से महिलाओं की रूचि कम है।
- ग्राम खैरगोंदी में आंगनवाड़ी केन्द्र का उद्घाटन सरपंच महोदया द्वारा किया जाना था किन्तु वे उपस्थित नहीं हुई जिस्से महिलाओं में लगाव पंचायत के तरफ कम हो गया है।
- लोगों को अपने गांव की योजना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है जोकि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित है।

पंचायत टेकाड़ी

- ग्रामसभा में का आयोजन ही नहीं होता है।
- ग्रामीणों के द्वारा एक विशेष ग्रामसभा का आयोजन के लिये सरपंच एवं सचिव को आवेदन दिया गया जिसमें सरपंच द्वारा कहा गया कि हम ग्रामसभा नहीं करवा सकते आवेदन में 134 लोगों के हस्ताक्षर हैं जो विशेष ग्रामसभा के लिये दिये हुये थे।
- ग्रामीण लोगों के द्वारा यह बात सामने रखी गई कि गांव में स्ट्रीट लाईट की आवश्कता है लेकिन इस पर पंचायत ध्यान नहीं दे रही है जबकि आम सहमति बनी हुई है।
- ग्रामसभा की मुनादी होती है किन्तु मुद्दों की बात नहीं की जाती है, लोगों की समझ भी कम है जिससे लोग इसमें भाग नहीं लेते।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और न ही इस और कोई कदम उठाया गया है।
- बरसात के मौसम में पेयजल स्त्रोतों के जल शुध्दीकरण पर पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है।
- पंचायत की नियमित बैठकों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिती नहीं होती है, और न ही पुरूष प्रतिनिधीयों के बीच तालमेल अच्छा है।

पंचायत चिचगांव

- पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन तो होता है किन्तु महिलाओं की भागीदारी नहीं होती।
- पंचायत के द्वारा शौचालय निर्माण के लिये कोई प्रयास या प्रचार प्रसार गांव में नहीं किया जा रहा गांव के लोग व्यक्तिगत् रूप प्रयास किया जा रहा है।
- पिछले 15 सालों से निर्विरोध चयन पंचायत सदस्यों का हो रहा है।
- गांव के सरपंच के द्वारा गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- गांव में पेयजल को लेकर समस्यायें लेकिन उनका निराकरण नहीं होता है।
- गांव की सड़को में होने वाली गंदगी को दूर करने के लिये कुछ ग्रामीण लोगों ने ही पहल की है।

पंचायत बहियाटीकुर

- ग्राम पंचायत बहियाटीकुर के ग्राम बहियटीकुर के लोगों ने कहा कि 1 वर्ष से हमारे ग्राम में ग्रामसभा नहीं हुई।
- लोगों ने कहा कि ग्रामसभा 26 जनवरी 2007 को हुई थी उसके बाद अभी तक नहीं हुई है।
- पंचायत की मासिक बैठक भी नियमित नहीं होती । महिला प्रतिनिधि की उपस्थिती नहीं होती।
- ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव पंचायत पंचायत क्षेत्र में निवास नहीं करते जिससे पंचायत के काम एवं लोगों पड़ने पर बहुत परेशानी होती है।
- सरपंच / सचिव केवल शासकीय काम के लिये ही गांव में आते है, बाकी समय बाहर गांव में रहते हैं।
- गांव के लोगों ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने हेतु आवेदन किया गया। किन्तु सरपंच उपस्थित नहीं हुये।
- ग्राम पंचायत भवन कभी कभी ही खुलता है और सरपंच /सचिव कभी उपस्थित नहीं होते। यदि लोगों को उनसे काम होता है तो उनके निवास पर सुबह शाम जाना चक्कर काटना पड़ता है।

- गांव के लोगों ने कहा गया कि पंचायत भवन केवल देखने के लिये है। पंचायत के सभी काम तो सरपंच सचिव के धर पर होते है।
- समग्र स्वच्छता अभियान निर्माण जैसे मुद्दों पर आज तक कोई काम नहीं किया गया। ना ही लोगों को इस विषय पर जानकारी दी गई जबकि लोग शौचालय निर्माण करने पर तैयार हैं।
- ग्रामसभा के बारे में हमें अधिक नहीं मालूम है इससे पहले हमें आज तक किसी ने नहीं बताया।

नुक्कड़ नाटक

समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा और स्वास्थ्य व्यवहार एवं शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल जनित एवं मल जनित रोग को सहज एवं रोचक तरीके से समझ बनाने में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया। चौपाल परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में नुक्क्ड़ नाटक का आयोजन किया गया।

पूर्व तैयारियॉ

परियोजना के कार्यकर्ता द्वारा सभी नुक्कड़ नाटक होने वाले गांवों में सूचना दी गई। इसके साथ ही साथ ग्राम के सरपंच के द्वारा नाटक होने के एक दिन पूर्व मुनादी के माध्यम से लोगों तक सूचना दी गई। सृजन समूह, ग्राम स्वास्थ्य समिति और स्व सहायता समूह की बैठक की गई जिसमें नुक्कड़ नाटक के आयोजन और उद्देश्य को बताया गया। नुक्कड़ नाटक के सदस्यों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के दिन गांव में भ्रमण किया गया जिसमें ग्राम के सरपंच पंचायत सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को गांव की महिलाओं के साथ आने के लिये आमंत्रित किया गया।

नाटक के माध्यम से जिन विषयों पर जानकारी दी गयी

- ❖ जल जनित रोग क्या हैं।
- ❖ मल जनित रोग क्या हैं। मल के रोगाणु बीमारियॉ कैसे फैलाते हैं।
- ❖ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया क्या है।
- ❖ शौचालय निर्माण के फायदे क्या हैं।
- ❖ बिमारियॉ से बचाव कैसे किया जा सकता है।
- ❖ स्वच्छता क्या है। हमारा योगदान क्या हो सकता है ?
- ❖ व्यक्तिगत् स्वच्छता क्या है।

नुक्कड़ नाटक में बताये गये संदेशों के संबंध में महिला एवं पुरूषों से साक्षात्कार लिया गया जिसमें निम्न बातें निकलकर आई।

- ❖ पंचायत के द्वारा इस तरह की जानकारियां कभी नहीं दी गईं।
- ❖ जल से होने वाले क्या क्या रोग हैं इस पर जानकारी नहीं थी।
- ❖ मल से बिमारियॉ होती है इसके फैलाव के माध्यम के बारे में जानकारी नहीं थी।
- ❖ शासकीय योजनाओं की जानकारियों का अभाव रहा।

चुनौतियॉ

गांव में खेती के कार्यों में व्यस्तता के कारण नुक्कड़ नाटक का आयोजन रात में किया। रात में विद्युत कटौती के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शराबियों के कारण मानूटोला गांव में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

नुक्कड़ नाटक उपस्थिती मूल्यांकन प्रपत्र

क्र.	दिनांक	पंचायत	गांव	पु.	म.	बच्चे	सरपंच	पंच	ग्राम संस्था से
1.	06.11.07	चिचगांव	चिचगांव	78	87	59	01	06	05
2.	07.11.07	चिचगांव	हिराटोला	100	85	90	00	09	03
3.	13.11.07	धारावासी	मानूटोला	48	53	35	00	03	04
4.	14.11.07	धारावासी	मौसमी	65	52	40	00	03	03
5.	16.11.07	रानीकुठार	पढ़रापानी	47	34	53	00	03	03
6.	17.11.07	रानीकुठार	देवगांव	77	91	98	00	03	03
7.	19.11.07	रानीकुठार	रानीकुठार	36	43	56	00	03	04
8.	20.11.07	धारावासी	धारावासी	65	40	55	01	03	02
9.	21.11.07	टेकाड़ी	टेकाड़ी	80	65	76	01	05	03
10.	22.11.07	टेकाड़ी	कटंगटोला	27	33	49	00	03	04
11.	23.11.07	साल्हे	साल्हे	50	100	65	01	05	04
12.	26.11.07	साल्हे	खैरगोंदी	25	40	55	00	02	03
13.	27.11.07	बहियाटीकुर	बहियाटीकुर	75	50	45	00	04	02
14.	28.11.07	बहियाटीकुर	सिरसाटोला	45	30	35	00	00	00
15.	29.11.07	बहियाटीकुर	मरेरा	80	60	40	01	05	04
16.	30.11.07	रानीकुठार	बीजाटोला	25	23	38	00	01	02
17.	01.12.07	रानीकुठार	गनखेड़ा	21	23	33	00	01	01
18.	02.12.07	रानीकुठार	रानीटोला	30	43	32	00	02	02
योग				**974**	**951**	**945**	**05**	**61**	**52**

पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण

परियोजना के अंतर्गत आने वाली सभी 6 पंचायतों में एक एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें पंचायत प्रतिनिधि पंच, सरपंच सचिव ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य थे

- पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करना व गांव के विकास के लिये प्रतिनिधियों की क्षमतावृध्दि करना रहा।
- ग्रामसभाओं को बढ़ावा देना और
- पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति की सुनिश्चित करना।

दो चरणों में संपन्न प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया। प्रत्येक पंचायत में लगभग 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि गांव का विकास तभी संभव है जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। पंचायत संबंधी सारी जानकारी चाहे वह राष्ट्रीय ग्रामीण योजना को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी जानकारी हो। इसके साथ ही ग्राम सभा का महत्व बताते हुये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का ग्रामसभा में आना जरूरी है। इस प्रशिक्षण में स्वास्थ्य की बात करते हुये कहा गया कि गांव का विकास तभी संभव है जब लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। गांव में साफसफाई, शौचालय जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य सूचना का अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बात की गई।

पंचायतीराज व्यवस्था पर जानकारी देते हुए परियोजना द्वारा निर्मित एक पुस्तक पंचायत एवं ग्रामसभा एक परिचय उपलब्ध करायी गयी।

महिला पंच प्रशिक्षण

दो चरणों में सम्पन्न यह प्रशिक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि महिला पंच कभी पंचायतों में सक्रिय नहीं रहीं, काफी तैयारियों और बातचीत के बाद प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जो कि काफी सफल रहे। अब महिलाएं और प्रशिक्षण आयोजित करने को कह रही हैं। पंचायत महिला पंचो की भागीदारी को लेकर महिला पंचों का प्रशिक्षण 18 और 19 मई 2007 को क्रमशः ग्राम पंचायत साल्हे और धारावासी में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम विकास की प्रक्रिया को समझाते हुये बताया गया कि विकास का मतलब केवल निर्माण हो जाना ही नहीं है। विकास तब तक संभव नहीं है जब तक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह महिला हो या पुरूष की भागीदारी नहीं होगी। गांव की अस्वच्छता को समझाने के लिये इसे चित्रकथा के माध्यम से महिला पंचों को समझाया गया कि जिन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते वही आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्पष्ट कर बताया गया कि ग्रामसभा क्यों जरूरी है। गांव की ग्राम सभा जिसका मतलब था गांव के लोगों की अपनी सभा बने। किन्तु वह गांव की नहीं बल्कि पंचायत व सरकार की सभा बन गई। लोगों की यह भावना होती है कि हमें क्या मिलेगा किंतु यही लोग अपनी इन भावनाओं को बदले और अपने गांव की प्रत्येक चीजे जोकि सरकार द्वारा बनाई गई है। उन चीजों को अपना समझे और उनका लाभ ले।

ग्राम का विकास तभी होगा जब गांव की योजना बनाते समय ध्यान रखें कि महिलाओं की भागीदारी भी बराबर हो सबके साथ समान न्याय हो जीवन जीने के साधन हों जरूरी जानकारियॉ इक्ट्ठी हों कब बैठे? कहॉ बैठे? तय हो। कोरम पूरा होना आवश्यक क्यों है। पंचायत ऐसा मंच है जहॉ बैठकर गांव के व्यक्ति अपने गांव को विकास की दिशा दे सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक क्यों है इस पर चर्चा करते हुये बताया गया कि महिलायें पंचायत में आना अपना अधिकार नहीं समझती जबकि वे अपने परिवार को अपने गांव को अधिकाधिक समय देती हैं, और वे ही समस्याओं को समझती हैं। गांव को यदि समस्याओं से छुटकारा दिलाना है तो यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने विषय पंचायत की ग्रामसभा में रखें।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन

परियोजना के अंतर्गत कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत साल्हे, चिचगांव, टेकाड़ी, धारावासी, बहियाटीकुर और रानीकुठार में किया गया।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना रहा जिससे समुदाय अपने गांव के स्वास्थ्य के विषय में गंभीर हो सके। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, सृजन समूह सदस्य, ग्राम स्वास्थ्य समिति सदस्य, स्व सहायता समूह के सदस्य और समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही।

इस आयोजन में संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, पम्पलेट्स पोस्टर पुस्तकों को शामिल कर इसके माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों दी गईं। इसके साथ चर्चा करते हुये शौचालय निर्माण और अच्छे स्वास्थ्य के विषय में बताया गया।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में ग्रामवासियों का प्राथमिक उपचार किया गया जिसमें गांव के लोगों ने अपना उपचार करवाया। उपचार उपरांत दवाईयों का वितरण किया गया। लगातार बुखार जिन्हें आ रहा था उनकी स्लाईड बनाकर परीक्षण किया गया। इस शिविर में सामान्य रोगियों का उपचार किया गया जिसमें सर्दी, खांसी, खुजली, बुखार, मलेरिया आदि की दवाईयॉ दी गईं। स्वास्थ्य शिविर में आंखों से दिखाई न देने वाले लोगों को विकासखंड स्तर पर निःशुल्क नेत्र परिक्षण की जानकारी दी गई। जिससे वह अपना ईलाज करवा सके। गंभीर बिमारियों ग्रसित व्यक्तियों को जॉच उपरांत परामर्श व जिला चिकित्सालय या खण्ड चिकित्सालय से अपना नियमित उपचार कराने की सलाह दी गई।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर

क्रमांक	पंचायत	दिनांक	शामिल गॉव	पुरूष	महिला	बच्चे	योग
1.	टेकाड़ी	06.12.07	2	45	50	20	115
2.	साल्हे	10.12.07	2	46	49	62	157
3.	चिचगांव	13.12.07	2	55	60	36	151
4.	धारावासी	15.12.07	4	62	59	54	175
5.	रानीकुठार	20.12.07	5	55	40	26	121
6	बहियाटीकुर	18.12.07	3	56	46	34	147
योग			**18**	**319**	**304**	**232**	**866**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर

सूचना के अधिकार और भोजन के अधिकार विषय पर एक एक दिवसीय प्रशिक्षण सह शिविर का आयोजन परियोजना के तहत आयोजित किया गया। यह पहला अवसर था जब पंचायत स्तर पर सूचना के अधिकार पर चर्चाएं की गयीं और जानकारियॉ बांटी गयीं।

उद्देश्य

- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 क्या है।
- इस अधिनियम का उपयोग कर हम किस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
- सूचनाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।
- चाही गई सूचनाएँ न मिलने या गलत मिलने की स्थिती में क्या विकल्प हैं।
- प्रशासन की इकाईयों को जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये अधिनियम को क्रियान्वित करने में लोग अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न ग्रामों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये।

कमांक	दिनांक	गांव का नाम	विकासखंड	उपस्थित सदस्य
1	04/07/2007	बहियाटीकुर	लालबर्रा	सरपंच, सचिव, पंच, शिक्षक, परिवर्तनकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह के सदस्य और ग्रामवासी।
2	05/07/2007	टेकाड़ी	लालबर्रा	
3	06/07/2007	धारावासी	लालबर्रा	
4	07/07/2007	रानीकुठार	लालबर्रा	
5	09/07/2007	साल्हे	लालबर्रा	
6	11/07/2007	चिचगांव	लालबर्रा	

अनुभव

विभिन्न ग्रामों में प्रशिक्षण आयोजन करने से यह अनुभव प्राप्त हुये कि कुछ खास ग्रामीणजनों और शासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को ही इस अधिनियम के बारे में जानकारी है जोकि शासकीय संस्थाओं से निरंतर संपर्क में रहते हैं, और यदि इन्हें जानकारी है भी तो पूरी नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान चर्चा करने पर निम्न अनुभव हुये

1. अधिकांश लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, यह नहीं मालूम था।
2. कुछ उपस्थित सदस्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम का नाम सुना था किन्तु इसकी प्रक्रिया क्या होती है यह नहीं मालूम था।
3. इसका उपयोग कहॉ करना है यह नहीं मालूम था।
4. इस अधिकार से संबंधित किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है यह जानकारी नहीं थी।
5. इस अधिकार के अंतर्गत किस तरह की सूचनाऍ प्राप्त हो पायेंगी यह नहीं मालूम था।
6. सूचनाऍ किन किन तरीकों में उपलब्ध हो पायेंगी है नहीं मालूम था।
7. सूचना प्राप्त करने की शुल्क क्या है और किन्हें छूट है यह नहीं मालूम था।
8. आवेदन किस तरह भरा जाना है यह मालूम नहीं था।
9. सूचना मिलने की समय सीमा क्या होगी यह मालूम नहीं था।
10. इस अधिकार के उपयोग से हम एक न्यायिक स्थिती बना सकते हैं, यह समझ लोगों को नहीं थी।

प्रश्नोत्तरी

- हीरालाल खरोले ग्राम साल्हे द्वारा पूछा गया कि बी.पी.एल के व्यक्ति को आवेदन शुल्क नहीं जमा करना पड़ता है। तो क्या वे किसी दस्तावेज की नकल प्राप्त करना चाहेंगे तो उसकी शुल्क देना पड़ेगा ? उन्हें बताया गया कि बी.पी.एल. के व्यक्ति को आवेदन शुल्क पर छूट दी गई है किसी भी प्रकार की शुल्क देय नहीं है। इसी के साथ नकल प्राप्त करने पर भी शुल्क नहीं देना होगा।
- लक्ष्मी कटरे ग्राम साल्हे द्वारा पूछा गया आपने बताया कि सूचना का अधिकार हमें प्राप्त है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किन्तु इस अधिकार के पारित होने का कारण क्या है ? इस संबंध में उन्हें बताया गया कि सूचना के अधिकार के उपयोग से सरकार एवं सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, खुलापन दिखाई देगा एवं सरकार एवं समुदाय के बीच शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार कम करने में मदद् मिलेगी।
- मुन्नी पटले ग्राम धारावासी द्वारा प्रश्न किया गया कि हमारे मोहल्ले का हेण्डपंप आये दिन खराब हो जाता है। इसे तुरन्त ठीक करवाने के लिये कहां आवेदन देना पड़ेगा। जवाब में उन्हें बताया गया कि आपको आवेदन अपने ग्राम पंचायत के सचिव को आवेदन करना पड़ेगा क्योंकि पंचायत स्तर पर सहायक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव ही होता है।
- नरेश डोगरे ग्राम बहियाटीकुर ने प्रश्न किया कि सन् 2005 से आज तक ग्राम पंचायत बहियाटीकुर को किस योजना के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई यदि यह जानकारी प्राप्त करना है तो यह कहॉ से प्राप्त होगी ? जवाब में उन्हें बताया गया कि पंचायत स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन करना होगा। यदि जानकारी नहीं मिले तो जनपद पंचायत कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होग।
- जयचंद गोयल ग्राम बहियाटीकुर के द्वारा प्रश्न किया गया कि पंचायत की कैश बुक का निरीक्षण करने के लिये कहॉ आवेदन करना होगा जवाब में बताया गया कि पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देना होगा। यदि वहॉ से जानकारी नहीं मिले तो जनपद् पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन देना होगा।

फिल्म शो

परियोजना क्षेत्र के ग्राम स्तर में फिल्म प्रदर्शन किया गया जिसमें **शुभमंगल, गांव नहीं किन्हीं पांच का, उभरती उमंग** फिल्म शामिल रहीं। फिल्म शो के पहले ग्राम सम्पर्क कर जन प्रतिनिधियों एवं सृजन समूह, ग्राम स्वास्थ्य समिति और स्वसहायता समूह को सूचना दी गई। फिल्म प्रदर्शन के बाद लिया गया साक्षात्कार

1. शांता पटले ने बताया कि समूह में बैठक पर स्व सहायता समूह की महिला की उपस्थिति कम होती है। पुरूषों के द्वारा महिला को आने नहीं दिया जाता हैं
2. आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन सभी हितग्राी की भागीदारी हो और पंचायत के लोगों के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य दिवस के दिन उपस्थित रहते हैं।
3. समुदाय स्तर पर सभी घरों में शौचालय का निर्माण होना चाहिये जिससे गांव की गंदगी घर न आये।
4. गांव में कुपोषित बच्चा होने पर गांव के द्वारा ग्राम सभा में चर्चा कर बच्चे को गोद लेना।
5. महिला पुरूषों को समान रूप से एक दूसरे का सहयोग करना चाहिये।
6. गांव में आवश्यकतानुसार ग्राम सभा बुलवाने पर सभी लोगों के द्वारा जनहित में प्राथमिकता के आधार पर मांग करना चाहिये।
7. श्रीमति हिरवंता बाई पंच के द्वारा बताया गया कि पंचायतों के निर्णय में लोगों की आम राय होनी चाहिये।
8. फिल्म के अंत में सभी दर्शकों को ग्राम मुद्दों से जोड़कर चर्चा किया गया। पंचायत व गांव में लोगों की जानकारी कम है, और आदिवासी भाई को जागरूक करने की आवश्यकता है। यह बातें निकल कर आईं।

माह सितम्बर 2007 में फिल्म प्रदर्शन

क.	दिनांक	ग्राम	पंचायत	महिला	पुरूष	युवा	बच्चे
1.	03.09.07	मानुटोला	धारावासी	33	28	16	35
2.	05.09.07	केवाटोला	धारावासी	28	10	08	25
3.	06.09.07	धारावासी	धारावासी	18	09	10	45
4.	07.09.07	मौसमी	धारावासी	30	10	12	35
5.	08.09.07	देवगांव	रानीकुठार	15	12	05	20
6.	13.09.07	रानीकुठार	रानीकुठार	13	21	12	28
7.	14.09.07	गणेशटोला	रानीकुठार	20	15	05	18
8.	16.09.07	पढ़रापानी	रानीकुठार	16	14	02	28
9.	17.09.07	कटंगाटोला	टेकाड़ी	08	11	10	23
10.	17.09.07	टेकाड़ी	टेकाड़ी	20	08	01	24
11.	18.09.07	साल्हे	साल्हे	20	15	10	21
12.	21.09.07	चिचगांव	चिचगांव	20	15	15	28
13.	20.09.07	सिरसाटोला	बहियाटीकुर	17	20	06	28
14.	25.09.07	खैरगांदी	साल्हे	12	19	04	28
15.	27.09.07	बहियाटीकुर	बहियाटीकुर	40	18	07	18
16.	28.09.07	मरेरा	बहियाटीकुर	39	16	22	22
17.	29.09.07	पूरनटोला	टेकाड़ी	35	17	33	30
18.	03.09.07	गनखेरा	रानीकुठार	18	12	23	24
योग		**18**	**06**	**402**	**270**	**201**	**462**

इन्हीं गॉव में नियमित अंतराल और समुदाय की मांग पर फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है।

चुनौतियॉ

परियोजना के अंतर्गत कार्य करते हुए छोटी बडी चुनौतियॉ का सामना निरंतर करना पडता है। चुनौतियों के हल भी निकलते रहते है, कुछ तात्कालिक चुनौतियॉ हैं तो कुछ दीर्घकालिक। तात्कालिक चुनौतियॉ जैसे :

- परियोजना स्टॉफ का लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाना, मध्यप्रदेश आजीविका परियोजना के आरंभ होने पर काफी स्टॉफ ने संस्था छोडा है, उनके लिए यह बेहतर भी है। पर समुदाय में इससे प्रभाव पडता है। बार बार स्टॉफ के परिवर्तन से सारी प्रक्रियाओं को समझने और समझाने में काफी समय लगता है।
- प्रशासकीय स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यों की जानकारी का आभाव है अतः उन्हें अपने कार्य और परियोजना के बारे में समझाने में काफी जददोजहद करनी पडती है। एक बार किसी अधिकारी या कर्मचारी की समझ बनाने के पश्चात ज्ञात होता है कुछ दिनों बाद उनका तबादला हो गया।
- समुदाय का विश्वास अर्जित करना भी एक चुनौती है आज के समय में नित नयी संस्थाएं पैदा हो रही हैं और कुछ दिन कार्य करने के पश्चात संस्थाएं गायब हो जाती हैं। कभी कभी तो संस्थाएं पैसे आदि जमा करवाती हैं और लोगों की बचत लेकर भाग जाती हैं, या शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने के एवज में कमीशन लेने लगती हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच प्रारंभिक स्तर पर कार्य प्रारंभ करने में काफी समस्याओं का सामना करना पडा।
- प्रारंभिक स्तर में कार्यक्रमों में समुदाय की उपस्थिति सुनिश्चित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है खेती और रोजगार के कार्यों की वजह से लोगों का अधिकतम समय लेना भी दुष्कर कार्य है।

उपरोक्त सभी चुनौतियॉ तात्कालिक हैं और समय के साथ इनका हल निकल आता है और कार्य के अवसर बन जाते हैं। पर कुछ चुनौतियॉ हैं जिन पर गंभीरता से विचार और कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे :–

- बैगा जनजातियॉ और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति
- स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता
- शासकीय नीतियॉ

बैगा जनजाति Primitive tribe BAIGA

परियोजना क्षेत्र कुछ गॉवों में आदिम जनजाति बैगा निवास करती हैं मुख्य गॉवों से काफी दूर जंगलों के बीच स्थित इनके गॉव जहॉ ये निवास करते हैं वहॉ तक पॅहुचना ही दुष्कर कार्य है। ऐसा ही एक गॉव है चिखलाबडडी जो कि घ्ने जंगल के बीच स्थित है इस गॉव में बारिश के दिनों में पॅहुचा ही नहीं जा सकता। लगभग 23 बैगा परिवार इस गॉव में निवास करते हैं। गॉव भी राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं आता यह वनग्राम है और वन विभाग के द्वारा यहॉ कार्य किया जाता है। विगत चार पॉच वर्षों के दौरान वनविभाग द्वारा कुछ कार्य इस गॉव में किये गये हैं जैसे स्कूल और सामूदायिक भवन का निर्माण, कुछ कुंओं का निर्माण और खेत बनाने के लिए कुछ सहयोग साथ ही कुछ और गतिविधियॉ जैसे कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम Food for Work Programme का संचालन किया गया। वन विभाग द्वारा निरंतर कुछ ना कुछ कल्याणकारी कार्य करने की बात कही जा रही है। पर इन परिवारों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में रत्ती भर भी परिवर्तन दिखायी नहीं देता। उबड खाबड जमीन पर कृषिकार्य, पीने के लिए अशुद्ध जल, गंदगी और गंदगी के पनपती बीमारियॉ, शराब का सेवन, घ्र के नाम पर छोटी छोटी कच्ची झोपडी। इस परिदृश्य में भी वनविभाग के कर्मचारी कहने से नहीं चूकते कि कितना भी करो ये बदलने वाले नहीं।

बदलेंगे कहॉ से जब आपने प्रयास ही इन परिस्थितियों को सतत बनाये रखने के लिए किया है। शायद ही कभी हुआ हो कि किसी योजना के नियोजन में यहॉ रहने वाले लोगों को शामिल किया हो, परिस्थितियॉ बडी विकट हैं।

यह सबसे बडी चुनौती है कि इनके जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जावे, यह जनजाति तथाकथित विकास की पंहुॅच से काफी परे जीवन यापन कर रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और वर्ष भर रोजगार की सुविधा, साथ ही उनके मन में बसी हुई भावनाएं जिनसे लोगों को उभारने में काफी समय लगेगा। पंचायतों और शासकीय योजनाओं तक इनकी पॅहुच बनाने में काफी गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। आशा है परियोजना के हस्तक्षेप शनैः शनैः इस समुदाय तक पंहुचने में सफल होंगे और हम इस चुनौती को अवसर में बदलता हुआ देख सकेंगे।

अवसर

परियोजना क्षेत्र में अवसरों को देखा जाए तो वे भी कम नहीं हैं, कई ऐसे कार्यक्रम और नीतियॉ तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियॉ हैं जिनका लाभ परियोजना क्रियांवयन के दौरान लिया जा सकता है और लिया जा रहा है। जैसे :–

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम
- सर्व शिक्षा अभियान
- समग्र स्वच्छता अभियान

उक्त सभी कार्यक्रमों का परियोजना को लाभ मिल रहा है, संस्था के प्रयास और विभिन्न विभागों के साथ सतत संपर्क और समन्वय से सकारात्मक स्थिति बनी है। परियोजना के माध्यम से संस्था इन योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन में सफल हो रही है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर से जोडना, संस्था द्वारा आयोजित शिविर के पूर्व कभी भी इस तरह के शिविर गॉव में आयोजित नहीं किये गये, अकसर ये शिविर विकासखंड और जिले स्तर पर आयोजित हो जाते थे जिससे सभी को इसका लाभ नहीं मिल पाता था।

इसी भांति समग्र स्वच्छता अभियान के साथ बेहतर तालमेल के प्रयास जारी हैं इस वर्ष परियोजना क्षेत्र की दो पंचायतों चीचगॉव और धारावासी ने निर्मल गॉव बनाने हेतु प्रस्ताव दिये हैं जिससे शौचालयों के निर्माण और सामूदायिक जागरूकता वृद्धि कार्यक्रम में मदद मिल रही है, आशा है आने वाले समय में और परिस्थितियॉ बेहतर होती जावेंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून अर्थात एन.आर.ई.जी.ए. या इसे एक कार्यक्रम के रूप में देखा जावे तो वर्तमान स्थिति बेहतर नहीं है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिससे गॉवों और ग्राम वासियों की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। पर सरकारी विभाग की कार्यनीति और पंचायतों को हो रही समस्या की वजह से इस कार्यक्रम में दिक्कतें निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। विगत एक वर्ष का आंकलन किये जाने पर स्पष्ट समझ में आता है कि इसे बेहतर तरीके से लागू करने की मंशा ही नहीं है। नियमानुसार जिस रीति से कार्य होना चाहिए वह नहीं हो रहा है कार्य के लिए आवेदन की संख्या पर ही नजर डालें तो पूरी 6 पंचायतों में विगत वर्ष में 200 से भी कम

आवेदन लगे हैं और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसे 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ हो। कुछ पंचायत प्रतिनिधि भी इसके तहत कार्य करने की रूचि नहीं रखते जिससे समस्या और बढ़ती जा रही है।

इस विषय पर जागरूकता का आभाव स्पष्ट रूप से दिखायी देता है अतः संस्था ने आने वाले वर्ष में प्राथमिकता के साथ इस विषय पर कार्य करने की सोच बनायी है, अन्य विषयों के साथ साथ इस विषय को जोडकर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। संस्था ने कासा के साथ तालमेल किया है क्योंकि कासा इस मुद्दे पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। कासा के द्वारा विकसित पोस्टर और मार्गदर्शिका की उपलब्धता के लिए प्रयास किये गये और काफी मात्रा में जागरूकता वृद्धि हेतु सामग्री प्राप्त हुई है जिसका परियोजना क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है।

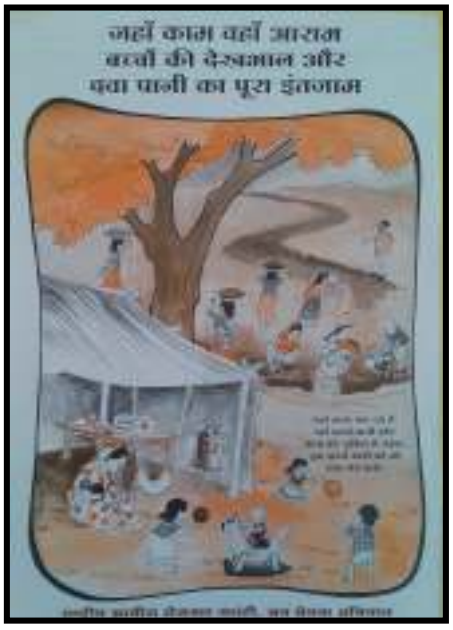

समुदाय रोजगार की तलाश में पलायन पर मजबूर हो रहा है पर जनपद पंचायतें रोजगार ग्यारंटी के तहत कार्य नहीं दे रही हैं या पंचायतें शासकीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण कार्य नहीं करना चाहते। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए इस विषय पर पैरवी के लिए समुदाय को तैयार करना और काम के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ किये गये हैं।

कासा से प्राप्त इस पोस्टर श्रंखला का प्रयोग जागरूकता वृद्धि के लिए किया जा रहा है।

परियोजना ने सर्वशिक्षा अभियान के साथ भी संपर्क स्थापित किये हैं जिसमें पालक शिक्षक संद्य की सक्रियता पर कार्य किया जा रहा है और शासकीय शालाओं में बच्चों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी प्राप्त हो यह प्रयास किये जा रहे हैं।

संस्था का पूरा प्रयास है कि इन अवसरों का लाभ उठाया जावे ताकि परियोजना के परिणाम प्रभावी रूप में सामने आयें।

प्रशिक्षण, दस्तावेज और संचार गतिविधियॉं

परियोजना में प्रशिक्षण, संचार और दस्तावेज का विशेष स्थान है अतः इसे विशेष महत्व देते हुए संस्थागत स्तर पर इसे एक ईकाई का स्वरूप दिया है जिससे कुछ वर्षों में संस्था प्रशिक्षण, संचार और दस्तावेजीकरण पर संदर्भ संस्था के रूप में कार्य कर सके।

संस्था ने काफी विषयों पर प्रशिक्षण मेन्युएल बनाने का प्रयास प्रारंभ किया है जिसमें प्राथमिक स्तर पर स्वयं सहायता समूह, नेतृत्व, कानून, और पंचायत विषय पर प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण मेन्युएल उपलब्ध हैं।

संचार की विभिन्न विद्याओं पर भी कार्य किया गया है और दस्तावेज समन्वयक को संचार और दस्तावेज पर क्षमतावृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये गये जिससे संस्था परियोजना और संस्था के लिए संचार नीति बनाने में सक्षम हुई है। संस्था में एक छोटे पुस्तकालय की स्थापना की गयी है जिसमें विभिन्न विषयों की लगभग 200 पुस्तकें, प्रशिक्षण मेन्युएल, पोस्टर, सी.डी. पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। आने वाले समय में इसे और अधिक व्यवस्थित किया जावेगा।

इस वर्ष संस्था ने परियोजना क्षेत्र की समस्याओं पर छोटी छोटी डिजिटल स्टोरी बनाकर दिखाने का प्रयास प्रारंभ किया है जिसे आगामी वर्ष में और अधिक प्रयोग किया जावेगा, साथ ही सृजन समूह की त्रैमासिक पत्रिका सृजनिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया है जो निश्चित रूप से सूचनाओं और जानकारियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

परियोजना स्टॉफ विवरण

SN	Name	Designation	Working Experience	Qualifiaction
1	Ameen Charles	Project Coordinator	15 Years	Post Graduate
2	Vandna Charles	Partner Coordinator	3 Years	Graduate
3	Hemant Patle	Training Coordinator	5 Years	Post Graduate
4	Devesh Agrawal	Documentation Coordinator	3 Years	Post Graduate
5	Mahesh Dahate	Community Organizer	5 Years	Graduate
6	Uday Bisen	Community Organizer	8 Years	Graduate
7	Naval Kishore	Community Organizer	4 Years	Graduate

ifj;kstuk esa dk;Zjr lHkh LVkWQ LoSfPNd {ks= esa dk;Z dk vuqHko j[krs gSa vkSj vyx vyx ifj;kstukvksa esa dk;Z fd;k gSA lHkh ds ikl lkewnkf;d Lrj ij dk;Z dk O;kid vuqHko gS] lkFk gh leLr LVkWQ dks fofHkUu fo"k;ksa ij fHkUu fHkUu izf'k{k.k laLFkkuksa ls fofHkUu fo"k;ksa ij izf'k{k.k izkIr djus dk volj izkIr gqvk gSA laLFkk viuh uhfr;ksa ds vk/kkj ij lHkh dks leku :i ls {kerk o`f) ds volj miyC/k djkrh

हमारे अनुभव

बरसात कीचड़ और छुटकारा

लालबर्रा विकासखड से 6 किलो मीटर की दूरी में मुख्य सड़क से जुड़ी पंचायत साल्हे जहां आवागमन के लिये सड़क तो है किन्तु पक्की नहीं। पक्की सड़क न होने से साल्हे और इससे जुड़े 7 गांव के ग्रामवासियों को बारिश के मौसम में आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वर्ष 2007 में माह अप्रैल मई में रोजगार गारंटी योजना के तहत् सड़क मुरमीकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया। किन्तु मुर्रम की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण जैसे ही 15 जून के बाद बारिश होना शुरू हुई तो मुख्य रूप से साल्हे में मुर्रम के कीचड़ के रूप में बदलने में समय न लगा। कीचड़ के बनने के कारण और भी थे जैसे पानी की निकासी के लिये नालियॉ नहीं बनाई गईं हैं और साथ ही सुबह शाम जानवरों गाय बैलों का आना जाना होता है इससे गोबर पानी ने कीचड़ रूप ले लिया था जिस्से गांव वालों और अन्य जुड़े गांव की निवासियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और साथ गोबर मिले कीचड़ से बदबू आनी शुरू हो चुकी थी।

कुल मिलाकर साल्हे की सड़क की हालत् बद् से बद्त्तर हो गई थी। संस्था कार्यकर्ता के द्वारा इस पंचायत के सरपंच से इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो उन्होंने पी.डबल्यू.डी के अधिकारियों से बात की, कि हमारे गांव में सड़क पर कीचड़ होने से ग्रामवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया और करीब 15 मजदूरों के द्वारा सड़क के कीचड़ को इकट्ठा करवा कर गांव की सीमा से बाहर करवाया। और साथ ही पानी की निकासी के लिये नालियॉ बनवाई कि जिससे सड़क में पानी का जमाव न हो।

स्वच्छ रहेगा हेंडपंप तो स्वथ्य रहेंगे हम

विकासखंड लालबर्रा से 08 कि.मी. की दूरी में ग्राम पंचायत रानीकुठार है। इसी पंचायत के देवगांव ग्राम की प्राथमिक शाला के हेंडपंप के फर्श पर आगनवाड़ी में आने वाले बच्चों द्वारा गंदगी फर्श में बर्तन धोकर फैलाई जाती थी तथा हेडपंप के हथ्थे पर बैल व भैंस की रस्सी बांधकर जानवरों को साफ किया जाता था।

हमने आंगनवाड़ी मेडम व साहियका को बताया कि कि हेंडपंप के फर्श पर जो गंदगी बच्चों द्वारा की जा रही है। यह अच्छी बात नहीं है। उन्हें बताया कि हम सभी इस हेंडपंप के पानी का उपयोग पेयजल के रूप में करते हैं। हमारे आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला के बच्चे यहां का पानी पीते हैं। और यही का पानी बहुत से घरों में भी पीने के लिये ले जाया जाता है। फर्श पर गंदगी रहने से हेडपंप का जल दूषित होता है। जिससे जो व्यक्ति इस जल का उपयोग पीने के उपयोग में लेता है। वह बीमार हो सकता है। इसी के साथ ही साथ उस हेंडपंप के आस पास के परिवार जनों से संपर्क कर उन्हें बताया गया कि आप जो जानवरों को हेडपंप के हथ्थे में बांधकर नहलाते हैं। यह गलत है, क्योंकि इससे हेंडपंप के आसपास पानी जमा होता है। और यह रिसकर अन्दर जाता है। तथा पुनः हेंडपंप के माध्यम से बाहर आता है। जिसका उपयोग हम सब करते हैं। और हम कई तरह की बिमारियों से घिर जाते हैं। जब से यह चर्चा हमने कि तब से अब तक इस हेंडपंप का फर्श हमेशा साफ दिखाई देता है।

पंचायत विद्यालय और शौचालय

पंचायत रानीकुठार की पंचायत और प्राथमिक विद्यालय के भवन दोनों ही साथ ही साथ हैं। भवनोंके शौचालय का उपयोग हमेशा किया जाता है किन्तु इनकी सफाई के बारे में किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं।

दोनों ही शौचालय में कचरे का ढेर लगा हुआ रहता था ईंट के टुकड़े यहॉ वहां बिखरे रहते थे। पेशाब के जमा हो जाने से बदबू दोनों ही भवनों में बैठने वालों को परेशान कर देती थी। मच्छर व मक्खी का पनपना निरंतर बढ़ रहा था। हमारी संस्था के द्वारा इस पंचायत में पहला प्रशिक्षण पंचायत भवन में महिला पंच प्रशिक्षण को लेकर रखा गया । प्रशिक्षण के दौरान महिला की पंचायत में भागीदारी के साथ ही साथ स्वास्थ्य व स्वच्छता पर भी बात की जा रही थी। प्रशिक्षण के चलते दोनों शौचालय का उपयोग किया गया । प्रशिक्षण के उपरांत उपस्थित इस पंचायत की पंचो के द्वारा कहा गया कि सब से पहले तो हम इन शौचालय की गंदगी साफ करवायेंगे। किन्तु यह गंदगी बनी रही ओर अगले दो दिन तक कुछ भी नहीं हुआ । संस्था कार्यकर्ता के द्वारा पंचायत प्रतिनिधी बसंत ऐडे व स्कूल शिक्षक राजेश चौरे से संपर्क किया गया और उनसे कहा कि शौचालय जहां बच्चे व गांव के लोग द्वारा पेशाब व शौच किया जाता है वह बहुत गंदा है जिसमें पेशाब जमा है और कचरे व ईंट पड़ी हैं जिससे पेशाब के जमाव के कारण मच्छर पैदा होते हैं। जिसके काटने से डेंगू व मलेरिया जैसी बिमारियां होती हैं। जिससे जनता व बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि हम साफ करवायेंगे और हमेशा यह सफाई होती रहेगी। दोनों शौचालय की साफ सफाई 15 दिनों के बाद करवाई गई आज यह स्थिति है कि ये शौचालय साफ सुथरे हैं।

अधिकार

ग्राम पंचायत धारावासी विकास के लिये योजनाओं एवं कार्यक्रमों को, सक्रियता से क्रियान्वित कर रही है। उसी के चलते रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य धारावासी से कन्हार रोड से होते हुये भोंरा कच्छार तक माह जून में कराया गया। काम के चलते संस्था कार्यकर्ता द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्य करवाने वाले मेटो से औपचारिक बात की गई जिसमें कार्यस्थल पर उपलब्ध व्यवस्थाओं जैसे पानी पीने की व्यवस्था प्राथमिक उपचार की दवाईयां छांव की व्यवस्था कार्यस्थल पर मस्टरोल भरे जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई एवं योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम सभी बारिकियों को ध्यान में रखते हैं। किन्तु कुछ दिनों के बाद संस्था कार्यकर्ता द्वारा कार्यस्थल का भ्रमण किया गया। तो पाया गया कि इस सड़क निर्माण कार्य में 300 मजदूर काम कर रहे हैं। और तीन मेट यह काम करवा रहे हैं। लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि एक महिला मजदूर छांव पर लेटी है और उसकी तबियत खराब है। जब उस महिला से बात हुई तो उसने बताया कि 3 घण्टे से उसे तेज बुखार है, दवाईयॉ उसने नहीं ली हैं। संस्था कार्यकर्ता द्वारा सभी मजदूरों को इकट्ठा कर उन्हें इस रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया कि इस योजना में प्राथमिक उपचार की दवाईयॉ जैसे बुखार, उल्टी, दस्त चोट लगने पर मलहम व पट्टी , साफ पानी की व्यवस्था एवं छांव की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है। जब लोगों को सुविधाओं और यह उनका अधिकार है यह मालूम हुआ तो सभी ने इन सुवधिाओं की मांग सरपंच से किया। तब 300 लोगों की मांग पर सरपंच ने तुरन्त दवाईयों के लिये एक व्यक्ति को रूपये देकर दवाईयॉ मंगवाईं। और उस बीमार महिला को दवाईयां दी गईं।

अब बात होने लगी है

परियोजना क्षेत्र की पंचायत साल्हे में महिला पंच प्रतिनिधियों का पंचायत में भागीदारी एवं विकास के मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण दिनांक 18 जून 2007 को संस्था द्वारा सम्पन्न करवाया गया । इस प्रशिक्षण के दौरान पेय जल स्त्रोतों की स्वच्छता एवं साफ पानी के उपयोग पर विस्त्त जानकारी दी गइ जिसके अंतर्गत पेय जल स्त्रोतों पर कपड़े धोना नहाना और जानवरों को नहलाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बताया गया।

इस प्रशिक्षण के बाद व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं द्वारा प्रयास किया जाने लगा। इन्हीं प्रयासों के चलते साल्हे गांव के बीच मे बना हेंडपंप में कपड़े धोना नहाना और जानवरों को नहलाने वाले लोगों को ऐसा करने से महिलाओं के द्वारा रोका गया। महिलाओं की बातें लोगों की समझ में आ गई किन्तु यह स्थिति लगातार नहीं बनी रही। कुछ दिनों बाद फिर जस का तस होने लगा। पुनः सूचना के अधिकार के प्रशिक्षण के दौरान जब महिलाओं से हेंडपंप की स्वच्छता की बात की गई तो उनका कहना था कि आपने हमारी समझ तो बना दी लेकिन अन्य लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। लोगों को आदत सी हो गई है। इस प्रशिक्षण में उपस्थित लक्ष्मी कटरे ने कहा कि आपने पिछले प्रशिक्षण में चित्रगीत सुनो सुनो.....के माध्यम से जो संदेश दिया है वह अभी हमारे गांव के अन्य लोगों तक पहॅूचाना बाकी है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जिस तरह चित्रगीत में कजरो के दो भाई की मौत हो गई थी वैसा हमारे या हमारे गांव वालों के साथ ना हो।

0000 0000 0000

for more information please contact :-
Ameen Charles
Director
Community Development Centre
Bhatera Chouky, Balaghat
M.P. 481 001 India
Phone : 07632 248585
Cell No. 09425822228
Mail : cdcindia@rediffmail.com